न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 26 / 2023

उनवान

रईसा पत्नी नूरमौहम्मद जाति मुसलमान नि0 चिश्तीनगर, खानूपुरा, नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्रीमती प्रियंका राठौड

बनाम

1. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

2. आमना पत्नी निसार मोहम्मद
3. सिराज पुत्र निसासर मोहम्मद
4. भंवर पुत्र निसार मोहम्मद
5. कमरूददीन पुत्र निसार मोहम्मद
6. फकरूदीन पुत्र निसार मोहम्मद
7. लाली पुत्री निसार मोहम्मद समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :– 2 से 7 अनुपस्थित

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: आदेश :– दिनांक :– २.1.२५

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 7523, 7524, 7527, 7528, 7529 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी आराजी पर जाने के लिये खसरा नम्बर 7521 रकबा 0.25 पर से होकर जाता है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास आवागमन के लिये कोई विकल्प नही है। अतः प्रार्थी को स्वयं की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु 7521 रकबा 0.25 मे से 30 फिट रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार नसीराबाद से प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 2 से 7 बावजुद सूचना अनुपस्थित। तहसीलदार नसीराबाद ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पैरोकार के तर्को पर मनन किया। ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 7523, 7524, 7527, 7528, 7529 की आराजी प्रार्थीगण खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नमबर 7388 रकबा 0.89 गै0मु0 रास्ता राजस्व अभिलेख व मौके पर मौजूद है। उक्त रास्ते से सुस्पष्ठ आवागमन हो रहा है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि मौके पर रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य रास्ता मौके पर विधमान है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त रास्ते बाबत स्थिति स्पष्ट नही की है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:25 IST
Reason: SelfAttested